राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी - मांगीलाल (प्रशिक्षु आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 46/2018

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) रा.का.अ.

1. गुरदीप सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जट सिक्ख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. डिप्टी सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जट सिक्ख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

- प्रार्थी

बनाम

1. सुखवीर कौर पत्नि गुरचरण सिंह जाति जट सिक्ख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. मनप्रीत कौर पत्नि जसकरण सिंह जाति जट सिक्ख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, जिला हनुमानगढ़

- अप्रार्थीगिण

उपस्थित :-

1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू, अधिवक्ता प्रार्थीगिण
2. श्री महावीर बेरड़, अधिवक्ता अप्रार्थीगिण

निर्णय दिनांक : 18.02.2020

प्रार्थीगिण द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगिण के नाम से प्रार्थीगिण के कब्जे में चक 25/1 ए.एम.पी. खाता संख्या 113 प.न. 96/117 मुरब्बा न. 67 किला न. 4,5,6,7/0.253 प्रत्येक कुल 1.012 हैक्टेयर आराजी राजस्व रिकार्ड दर्ज है। इसी चक की मुरब्बा न. 67 किला न. 14,15,16,17,25,24/0.253 प्रत्येक कुल 1.518 हैक्टेयर व चक 21 एम.जे.डी. खाता संख्या 92/72 में प.न. 92/178 मुरब्बा न.

Scanned by CamScanner

2 किला न. 4,5 / 0.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 0.506 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में है, जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थना-पत्र के चरण-3 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि चक 25/1 ए.एम.पी. में कब्जा काश्त मुरब्बा न. 67 किला न. 4,5,6,7 / 0.253 है. प्रत्येक में आने-जाने, कृषि जिंस बाजार तक ले जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण ने मुरब्बा न. 67 के किला न. 15,16,25 में से अप्रार्थीगण से रास्ता मांग रखा है और पथ्थर लाईन पर सड़क आम से मौके पर चल रहा है। उक्त सड़क आम से होकर अपनी कब्जा काश्त कृषि भूमि में प्रवेश करने हेतु मु.न. 67 के किला न. 15, 16, 25 में से एक-एक बिस्वा प्रत्येक बीघा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के मु.न. 67 किला न. 15, 16, 25 में से प्रत्येक बीघा में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने के बदले उसकी सुविधानुसार रास्ते में प्रयुक्त कृषि भूमि के बराबर कृषि भूमि देने हेतु तैयार है अथवा अप्रार्थीगण चाहे तो उक्त रास्ते के बदले मूल्य से कीमत अदा करने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कृषि कब्जा काश्त भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण से चक 25/1 ए.एम.पी. में मु.न. 67 किला न. 15,16,25 में से रास्ता स्वीकृत करवाने को कहा तो अप्रार्थीगण पहले टालमटोल करते रहे और बाद में ऐसा करने से कतई इनकार कर दिया, यहीं प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के उपस्थित न होने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाह अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 2 को कई अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया अतः जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम के प्रावधानान्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से मौका व जाँच रिपोर्ट प्राप्त की गई जिन्होंने अपने पत्र क्रमांक

Scanned by CamScanner

राजस्व / रास्ता / 2018 / 661 दिनांक 21.06.2018 में अंकित किया है कि इस न्यायालय के निर्देशों की पालना में भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त किशनपुरा उत्तराधा की पालना रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि दोनों पक्षकारों को समझाईश की गई परन्तु सहमत नहीं हुये तथा ना ही जमीन के बदले जमीन पर सहमत हुये जिसके आधार पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने चक 25/1 ए एम पी के मुरब्बा नं. 67 किला नं. 15, 16, 25 में आम सड़क से दक्षिण से उत्तर पत्थर लाईन के साथ एक-एक बिस्वा यानि कुल तीन बिस्वा = 8.25 x 495 = 4083.75 वर्ग फीट लम्बाई में रास्ता डी एल सी दर 800388/- प्रति हैक्टेयर की दर से दुगुनी राशि 60,830/- ₹ जमा करवाये जाने की शर्त पर रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा की है

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया -

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव
3. नया मार्ग निकटतम / लघूत्तम रूट से हो

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की मौका जाँच रिपोर्ट तथा पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता और वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर चक 25/1 ए. एम. पी. के मुरब्बा न. 67 किला न. 15, 16, 25 में आम सड़क से दक्षिण से उत्तर पत्थर लाईन के साथ एक-एक बिस्वा यानि कुल तीन बिस्वा = 8.25 X 495 = 4083.75 वर्ग फीट लम्बाई में रास्ता इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि प्रार्थी रास्ते की एवज में प्रचलित डी एल सी के आधार पर डी एल सी दर की दुगुनी राशि जमा करवायेगा तत्पश्चात् उक्त स्वीकृत रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गैर-मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थीगण द्वारा राशि की मांग किये जाने पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा राशि अप्रार्थीगण को लौटाई जायेगी। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया